



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन,

एन.एस.-बी/2, पाटलीपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना-800010

अधिसूचना संख्या:- 10


पटना, दिनांक:- 04/5/19

-: अधिसूचना :-

पर्षद् मंडल की 106वीं बैठक दिनांक 13.09.2018 के कार्यावली संख्या 04 में लिये गये निर्णयानुसार वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित बिहार यात्रा नियमावली में यथा-संशोधित दरों को अंगीकार करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार पर्षद् की अधिसूचना संख्या-28, दिनांक: 25.09.2018 द्वारा बिहार यात्रा नियमावली में संशोधित दर दिनांक 11.10.2017 के बदले में भूलवश दिनांक 29.10.2010 द्वारा संशोधित दरों को अंगीकार कर लिया गया था। इस अधिसूचना को एतद् द्वारा अवक्रमित करते हुए वित्त विभाग, बिहार सरकार की संकल्प संख्या 3ए-3-भत्ता-01-2017-8044-वि0 दिनांक 11.10.2017 में निर्धारित दरों को पर्षद् कर्मियों के लिए यथारूप संशोधित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जायेगा।


(आलोक कुमार)

सदस्य-सचिव